>

Title: Presentation of the 19th, 20th and 21st Reports of the Committee on Petitions.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

1. एकसमान जाति सत्यापन नीति और तत्संबंधी मुद्दों के बारे में श्री आर.वाई.बंकर, महासचिव, एयर कॉरपोरेशन एससी/एसटी इम्पलायज एसोसिएशन, मुंबई से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (15वीं लोक सभा) द्वारा अपने 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

2. खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 12क-4क में संशोधन करके और इसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम के फूड ट्रंसफरी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की उदारीकृत पेंशन योजना का विकल्प देने में समर्थ बनाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका पर याचिका समिति (15वीं लोक सभा) द्वारा अपने 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

3. एचएफसीएल, हल्दिया के वीएसएस कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के बारे में श्री टी.के. चक्रवर्ती, पूर्व एसओ (यूएसएसडी) और अन्य से प्राप्त तथा श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।